रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2000/माघ 27, 1921
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2000/MAGHA 27, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(परिवहन खण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2000

सा० का० नि० 129(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 686(अ) तारीख 6 अक्तूबर, 1999 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 6 अक्तूबर, 1999 में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 अक्तूबर, 1999 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 42 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 76 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस नियम और नियम 77, नियम 78 और नियम 79 के प्रयोजनों के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है :—

(i) ऐसे राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी के संबंध में जिसका दिल्ली में निवास स्थान है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का मुख्य न्याचार ; और

(ii) ऐसे राजनयिक अधिकारी या कौंसलीय अधिकारी के संबंध में जिसका किसी अन्य स्थान पर निवास स्थान है, राज्य सरकार का सचिव (परिवहन)''।

[फा. स. आरटी-11036/32/98-एमवीएल]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियमों को भारत के राजपत्र में दिनांक 2 जून, 1989 की सं. सा.का.नि. 590(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 9 फरवरी, 2000 की सं. सा.का.नि. 99(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

(TRANSPORT WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2000

G. S. R. 129(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 6th October, 1999 with the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport, number G S.R. 686(E) dated the 6th October, 1999 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification are made available to the public ,

And whereas the copies of the said Gazette of India made available to the public on the 7th October, 1999 ,

And; whereas no objections and suggestions have been received from the public by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 42 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely .—

1 (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (5th Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In rule 76 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely .—

'*Explanation*—For the purposes of this rule and rules 77, 78 and 79, "competent authority" means :—

(i) in relation to a diplomatic officer or a consular officer who has his residence in Delhi, the Chief of Protocol to the Government of India in the Ministry of External Affairs ; and

(ii) in relation to a diplomatic officer or a consular officer who has his residence at any other place, the Secretary (Transport) to the State Government'

[F No RT-11036/32/98-MVL]

K.V. RAO, Jt Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification GSR No 590(E) dated 2-6-89 and last amended vide notification GSR 99(E) dated 9-2-2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054